

तुरंत जारी करने के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भाद्रविप्रा द्वारा ऑनलाइन मोड के माध्यम से उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम

नई दिल्ली, 1 मार्च 2021: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भाद्रविप्रा) ने अपने क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के माध्यम से, उत्तराखण्ड के उपभोक्ताओं के लिए 25 फरवरी, 2021 को ऑनलाइन मोड के माध्यम से उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया।

2. भाद्रविप्रा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य उपभोक्ता हितों की रक्षा करना और उपभोक्ता जागरूकता उत्पन्न करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भाद्रविप्रा देश के विभिन्न हिस्सों में उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम आयोजित करता है। कोविड महामारी को देखते हुए ऐसे कार्यक्रम ऑनलाइन मोड के माध्यम से आयोजित करने का निर्णय लिया गया है, इसमें उपभोक्ता अपने घर, दुकान या कार्यालय से भाग ले सकते हैं।
3. इस कार्यक्रम में उत्तराखण्ड राज्य के टेलीकॉम उपभोक्ताओं के अलावा, राज्य के विभिन्न गाँवों से बड़ी संख्या में कॉम्पनी सर्विस सेंटर (CSO) प्रभारियों (उपभोक्ताओं), उपभोक्ता पक्षसमर्थक समूह (सीएनी) के प्रतिनिधियों, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के प्रतिनिधियों, विभिन्न कॉलेजों के छात्रों एवं शिक्षकों, शामिलों, किसानों, सरकार और जनता के अधिकारियों ने भाग लिया।
4. कार्यक्रम के दौरान, उपभोक्ताओं को दूरसंचार सेवाओं के विभिन्न पहलुओं यथा टैरिफ, मूल्य संवर्धन सेवाओं (वीएएस), डेटा सेवाओं, अनचाहे वाणिज्यिक संचार (यूसीसी), मोबाइल नंबर पॉर्टेबिलिटी, शिकायत निवारण प्रणाली, आदि के संबंध में उनके अधिकारों के बारे में अवगत कराया। उपभोक्ताओं को भाद्रविप्रा द्वारा उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए बनाए गए विभिन्न मोबाइल ऐप्स यथा ट्राई माय-स्पीड ऐप, ट्राई माइ-कॉल ऐप और डीएनडी 2.0 ऐप के लाभ के बारे में भी जानकारी दी गई एवं साथ में यह भी बताया गया कि कैसे उपभोक्ता इन ऐप और ट्राई एनालिटिक पोर्टल का लाभ उठा सकते हैं। उपभोक्ताओं को विभिन्न कपटपूर्ण गतिविधियों के बारे में भी बताया गया जैसे टॉनर थोखाथड़ी, आईएसडी नंबरों से मिस्टड कॉल, इत्यादि से कैसे बचे रह सकते हैं, के बारे में भी जरूरी जानकारी प्रदान की गई। उपभोक्ताओं को प्रसारण और केबल टीवी नियमों के वर्तमान संशोधन के बारे में भी बताया गया। नियमित सीआरपी के अलावा, विषय विशेषज्ञ श्री प्रभाष सिंह, भूतपूर्व सदस्य (प्रोयोगिकी), दूरसंचार आयोग, द्वारा "आपदा प्रबंधन में दूरसंचार की भूमिका" पर एक प्रस्तुति भी दी गई।
5. इंटरेक्टिव सत्र के दौरान, श्री विनोद गुरा, सलाहकार, भाद्रविप्रा और उनकी टीम द्वारा प्रतिभागियों के विभिन्न प्रश्नों के उत्तर दिए गए।
6. किसी भी स्पष्टीकरण के लिए श्री संजीव बांझल सलाहकार (सीए एंड आईटी), भाद्रविप्रा से टेलीफोन: 011-23210990 या ईमेल आईटी: advisorit@trai.gov.in द्वारा संपर्क किया जा सकता है।

(एस. के. गुरा) २०/२१
सचिव, भाद्रविप्रा